# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

**पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.**

**(प्रथम लिंक अधिकारी)**

2025-250RAAJodhpur2025-62RTA225 Achalaram ors Vs Kanaram etc

01. अचलाराम पुत्र जेठाराम
02. नारणाराम पुत्र जेठाराम
03. लिखमाराम पुत्र जेठाराम
04. चैनीदेवी पत्नी जेठाराम
05. गोरधनराम पुत्र डालूराम
06. चुनाराम पुत्र डालूराम
07. रेखाराम पुत्र डालूराम
08. नेनूदेवी पत्नी डालूराम
09. हेमाराम पुत्र खेताराम
10. पाचीदेवी पत्नी खेताराम,

सभी, जातियान–जाट, निवासी–निम्बली, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा।

**अपीलाण्ट्स ...**

**ब**
**ना**
**म**

1. कानाराम पुत्र उदाराम
2. लक्ष्मणराम पुत्र उदाराम
3. मिरगोंदेवी पत्नी उदाराम
4. देराजराम पुत्र जालाराम
5. नानगाराम पुत्र जालाराम
6. नारणाराम पुत्र जालाराम
7. लाछीदेवी पत्नी जालाराम
8. लिखमाराम पुत्र कुम्भाराम
9. खीयाराम पुत्र कुम्भाराम
10. डालूराम पुत्र कुम्भाराम
11. तुलछाराम पुत्र कुम्भाराम
12. भीयाराम पुत्र कुम्भाराम, जातियान–नाई,
13. केहनाराम पुत्र मेहराराम
14. हुकमाराम पुत्र मेहराराम,
15. सभी, जातियान–जाट, निवासी–निम्बली, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा।
16. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. सिणधरी
17. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी।

**रेस्पो. ...**

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 14 मई 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी राजस्व प्रार्थना पत्र सं 46/2025 अनवान कानाराम व अन्य बनाम अचलाराम इत्यादि**

---

उपस्थित–
श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से बारह

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

# नि र्ण य

**दिनांक : 28 जनवरी 2026**

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46/2025 अनवान कानाराम व अन्य बनाम अचलाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 14 मई 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 02 जून 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से बारह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खसरा नंबर 54/1 मौजा नीम्बली तहसील सिणधरी में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1/1 में से रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 मई 2025 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक से बारह का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अदालत ने आदेश दिनाक 14–05–2025 पारित करने से पूर्व न तो रेकर्ड का गहराई से अवलोकन किया और न ही उस पर मनन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की तलबी से पूर्व ही उनकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तलब की है। उस मौका रिपोर्ट का खण्डन करने का कोई अवसर अपीलान्ट्स को दिया ही नहीं गया था। उक्त मौका रिपोर्ट तैयारी के वक्त तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं जा कर आर आई व पटवारी को मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया, जिस पर पटवारी ने मौके पर नहीं जा कर अपने कार्यालय में बैठ कर ही उत्तरदातागण को लाभ पहुंचाने के लिये उनके कहे अनुसार ही मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है और मौका रिपोर्ट के लिये मौके पर हाजिर होने के नोटिस जो दिनांक 20–03–2025 को जारी किये गये थे, जिसमें 24–03–2025 को मौका देखने का बताया गया था जो नोटिस भी अपीलान्टगण को मात्र तीन दिन में प्राप्त नही हुए थे और न ही नोटिस प्राप्ति की रसीदें पेश की गयी है और न ही किसी स्वतन्त्र मौतबिरान के हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट पर करवाये गये है। तहसीलदार के द्वारा अपने अधिकारों को आगें डेलिकेट किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि उत्तरदातागण के नजदीक में जो मार्ग खेत खसरा संख्या 123/43 में उपलब्ध है, जिसका नक्शा भी अपीलान्टगण के द्वारा पेश किया गया था, लेकिन उस पर न्यायालय ने किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया और आनन फानन में व कानूनी प्रावधानों के खिलाफ जाकर एक तरफा मौका रिपोर्ट के अनुसार ही आदेश पारित किया गया जो काबिल खारिज करने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि उत्तरदातागण द्वारा जो रास्ता अपीलान्ट के खसरे में से चाहा गया है, उसके बजाय पड़ौसी खसरा संख्या 60 व 63 में तुलनात्मक रुप से नजदीक है, जिसको भी उत्तरदातागण के द्वारा मूल आवेदन में पक्षकार ही नही बनाया गया है। जिस पर भी न्यायालय ने काई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विचार नही किया गया और न ही अपीलान्ट के द्वारा किसी प्रकार से खण्डन करने का मौका दिया गया। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश से उत्तरदातागण के हौंसले बुलंद हो गये है तथा वे वादग्रस्त भूमि की मौके की स्थिति में बदलाव लाने व मौका व रेकर्ड को परिवर्तन करने पर उतारू है और मौके व रेकर्ड की स्थिति में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। यदि वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में बदलाव हो गया तो नये वाद को बढावा मिलेगा। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 मई 2025 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पो. संख्या एक से बारह की भूमि में आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। यह उल्लेखनीय है कि खसरा नंबर 58 के खातेदारान् द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष रास्ता दिये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है। मौके पर खसरा नंबर 54 एवं 58 दोनो के खातेदारान् को रास्ते की आवश्यकता है तथा अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है। अपीलांट्स द्वारा रास्ता नहीं दिये जाने की नियत से विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था जो विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत खारिज किया गया है। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत मौका फर्द के आधार पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है तथा मौके पर रास्ता भी खुल चुका है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 24.03.2025 के अवलोकन मुताबिक रेस्पो. संख्या एक से बारह के खातेदारी खेत खसरा नंबीर 54/1 में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1/1 एवं खसरा नंबर 58 में से होते हुए अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत धारा 251 की मंशा के अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट्स का उज्र है कि रेस्पो. के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नंबर 123/43 में लघुतम रास्ता उपलब्ध है। अपीलांट्स के उक्त उज्र के संबंध में उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलाधीन रास्ता ही रेस्पो. के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवगमन हेतु लघुतम रास्ता है तथा खसरा नंबर 58 के खातेदारान् द्वारा अपीलाधीन रास्ता दिये जाने में अपनी सहमति प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46/2025 अनवान कानाराम व अन्य बनाम अचलाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 14 मई 2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर